



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी रामवीर को हुआ 02 वर्ष 01 माह 26 दिन का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्त रामवीर पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत के विरुद्ध थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0- 383/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 09.11.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रामवीर को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में 02 वर्ष 01 माह 26 दिन के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त रामवीर के विरुद्ध जनपद बागपत में चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर आदि के संगीन धाराओं में एक दर्जन के करीब अभियोग पंजीकृत हैं।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



Baghpat police



baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 09.11.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान सट्टे की खाई बाडी करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 सट्टा पर्चा, 02 पैन, 02 गत्ते व 2470 रुपये नकद बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान सट्टे की खाई बाडी करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 02 सट्टा पर्चा, 02 पैन, 02 गत्ते व 2470 रुपये नकद बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सोनू पुत्र अमीरुद्दीन निवासी कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-वसीम पुत्र नफीस निवासी कोर्ट रोड कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 सट्टा पर्चा ।
- 02 गत्ते ।
- 02 पैस ।
- 1410 रुपये नकद (अभियुक्त सोनू से) ।
- 1060 रुपये नकद (अभियुक्त वसीम से) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-का0 369 विशाल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-का0 293 अनुज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 09.11.2023

थाना बड़ौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से पशु तस्करी में प्रयुक्त 01 गाडी महिन्द्रा पिकअप नं0 DL-1LT-7656 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 08 पशु बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पशु तस्करी में प्रयुक्त 01 गाडी महिन्द्रा पिकअप नं0 DL-1LT-7656 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 08 पशु बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-मौ0 आलम पुत्र मौ0 जाहिद निवासी गली न0 43 जाफराबाद थाना जाफराबाद दिल्ली ।
- 2-भोलू पुत्र इखलाक निवासी बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-जुनैद पुत्र साजिद अली निवासी चौथा पुस्ता उस्मानपुर थाना उस्मानपुर दिल्ली।

बरामदगी का विवरण:-

- पशु तस्करी में प्रयुक्त गाडी पिकअप नं0 DL-1LT-7656
- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 08 पशु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

2-है0का0 111 मुन्नालाल थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 09.11.2023

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 262/23 धारा 363 भादवि में वांछित
01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 262/23 धारा 363 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहित पुत्र वेदू निवासी पट्टी जगमलान करुबा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मौहम्मद आसिफ थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-का0 227 अनिल थाना छपरौली जनपद बागपत ।



थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध पौनिया .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध पौनिया .315 बोर बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मौहम्मद साकिब पुत्र मौहम्मद सादिक निवासी ग्राम सैदपुर कला रुहाना मिल थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध पौनिया .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-का0 1072 विनय कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-एचजी 251 अशोक थाना दोघट जनपद बागपत ।



थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टे की खाई बाड़ी करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 सट्टा पर्चा, 01 पैस, 01 गत्ता व 2107 रुपये नकद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टे की खाई बाड़ी करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 सट्टा पर्चा, 01 पैस, 01 गत्ता व 2107 रुपये नकद बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजय पुत्र भीम सिंह निवासी हसनपुर मंसूरी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 सट्टा पर्चा ।
- 01 पैस ।
- 01 गत्ता ।
- 2107 रुपये नकद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अबरार हुसान थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-का0 1075 मनीष थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

3-का0 555 रवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।